

Proceeding of Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd., Sunni Dam HEP, O/o Shakti Sadan, Shanan, Shimla, 171006 for "Proposed Khaira Quarry Stone Mine Lease" comprising an area, of 10.1529 Hectare with Production Capacity of 44,12,821 TPA for period of Five Years at Village Khaira, Gram Panchayat Chebri, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. on 17.05.2022 at 11:00 AM under chairmanship of the Addl. Deputy Commissioner, Shimla.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd., Sunni Dam HEP, O/o Shakti Sadan, Shanan, Shimla, 171006 for "Proposed Khaira Quarry Stone Mine Lease" comprising an area, of 10.1529 Hectare with the proposed Production Capacity of 44,12,821 TPA for period of Five Years at Village Khaira, Gram Panchayat Chebri, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. on 17.05.2022 at 11:00 AM was carried out under chairmanship of the Addl. Deputy Commissioner, Shimla as per procedure prescribed & notified by Ministry of Environment Forest & Climate Change vide notification No.-SO-1533, dated-14.09.2006.

At the outset, Regional Officer, HPSPCB, Shimla welcomed the Chairman, Officers and Officials of various Departments and local public. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the said proposal without any fear & pressure. Thereafter, he requested the Chairman to accord permission to start the Public hearing. After obtaining permission from Chairman, public hearing was started.

The consultant of the project proponent presented an overview of the proposed mining lease through a power point presentation. The attendance sheet of the participants is enclosed as **Annexure-I**. Videography of the public hearing was also done. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here:-

Sr. No.	Name & Address	Question	Reply by Project Representative
1.	Sh. Chhavinder Pal, Village Khaira, GP Chebri, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.	<p>We are not against the project. We need energy to carry out our day to day work. Project should be setup. Project proponent should provide the information about the facilities they have provided in already existing projects. It is important to evaluate the impact of project on the health of people. Air pollution will be caused due to mining. Its impact on elderly and children needs to be evaluated. Dust from mining will damage the grassland and vegetation of villagers. What is the mitigation plan of the project of the same? Ground water level will go down due to project activities. What arrangement will be provided by the proponent for same? Agriculture is the main source of income of the villagers. Project should supply water for irrigation from dam so that everyone get sufficient water for their fields. Project has proposed dumping site at Lunsu which is adjacent to residential area. Lot of pollution will be there due to plying of vehicles and dumping of muck. Plantation should be carried out by the project proponent and its survival after ten years need to be checked. Lot of health problems will be there due to project. The project should provide the health insurance cover of at least Rs. 15 Lakhs to every villager on the lines of Ayushman Bharat. There is acute shortage of Doctors in PHC. The project should provide doctors through society/NGO. We are not against the project. it is the responsibility of project to protect people from pollution and its after effects. The project should provide the facility of Polytechnic in the affected area. The employment should not be through contractors. Local contractors should get preference in works having value less than 20.00 Lakhs. Some villagers have been engaged through Himachal Pradesh Ex. Servicemen Corporation, (HIMPESCO).</p> <p>A policy should be framed for them. Responsibility of project proponent should be fixed. I request to ADC, Shimla to conduct periodic monitoring of the issues which I have mentioned here.</p>	<p>It was apprised by the Head of the Project (HOP) that the SJVN is committed for the conservation and protection of environment and project affected people. There is total provision of Rs. 318 Crore comprising of R&R scheme amounting to Rs. 179 crore (which includes LADF of Rs. 38.33 crore, compensation of view of damage Rs. 10.00 crore and Misc. Rs. 5.5 Crore); Rs. 38.34 crore in Catchment Area Treatment Plan, provision of Rs. 48.10 Crore in Compensatory Afforestation Scheme, and provision of Rs. 1.05 Crore for Wildlife & Bio-diversity management Plan, in the Sunni Dam HEP's Environment Management Plan.</p> <p>He further informed that no blasting will be carried out and excavation will be done through JCB/Excavator. The cutting will be done in benches of 6 X 6 meter as per approved mining plan. As far as the matter regarding damage to water sources is concerned, it is assured that excavation will be carried out above the ground water level. There is provisions of approx. Rs. 40 Lakh for the water, air and noise management plan, provisions of Rs. 2.80 crore for public health delivery Plan, provisions of Rs. 1.12 Crore for Labour Management Plan, provisions of Rs. 2.97 crore for sanitation & Solid waste management, provision of Rs. 12.78 crore for Corporate Environmental Responsibility, provisions of Rs. 0.15 Crore for Environmental Safeguards, provisions of Rs. 0.45 Crore for Energy Conservation measures and provisions Rs. 1.05 crore for Environmental Monitoring plan, in the Sunni Dam HEP's Environment Management Plan. Monitoring will be done by the Pollution Control Board and the Environment Deptt. of SJVNL. The muck will be disposed off as per guidelines of State Govt.</p> <p>Further, there is a provision of Rs. 7.5 lakhs against the EMP proposed for mining (Pollution Control @ 0.5 lakhs, Environment Monitoring @ Rs. 1.00 lakhs, Green belt development @ Rs. 3.5 lakhs, and occupation health and safety @ Rs. 2.50 lakhs.</p> <p>This quarry will be operational for 5 years.</p>
2.	Sh. Nageshwar, Village Khaira, GP Chebri, Tehsil Sunni, District Shimla	I support the proposed project at Khaira. The project proponent should provide the employment to the local people.	It was apprised by the project proponent that direct and indirect employment to approximately 4000 persons will be created by the Sunni Dam HEP. Further, mining would create direct job opportunity for 35 persons.

3.	Mukesh Sharma, Village Loti, GP Chebri, Tehsil Sunni, Distt. Shimla	I agree to the issues raised by Pradhan Gram Panchayat Chebri. I support the proposed project at Khaira.	No comments.
4.	Sohan Lal, Village Khaira, GP Chebri	I attended the public hearing of Sunni Dam held at GP Ogli. Why the name of project is Sunni Dam HEP and not Khaira HEP as the project is being setup at village Khaira. There are 30 houses in my village each having 5 animals. Mining has been proposed in this village and this is the most affected village. Due to mining grassland will be damaged and there will be shortage for feed stock for animals. Lot of dust emission will be there due to mining which will harm the environment and will cause health problems to local public. Water sources will dry up. The project proponent should provide irrigation scheme to the village. Employment should be provided to local public and policy should be framed for the same. Suitable compensation should be provided to land losers.	It was apprised by the project proponent that issue regarding the change of name of project from Sunni Dam HEP to Khaira Dam HEP has already been taken up with the higher authorities and same is lying for approval at Govt. level. Further, mining will be carried out as per approved mining plan and site will be reclaimed after completion of mining. Proper pollution control measures will be taken during mining to minimize the impact of air pollution on nearby areas. All the water sources will be protected. Issue regarding irrigation scheme and compensation will be addressed in proposed R&R plan in consultation with local public.
5.	Sh. Satya Prakash Thakur, Village Malgi, GP Ogli, Tehsil Suni, Distt. Shimla	There is no proper representation of people from affected areas in this public hearing. People are not even aware as why this public hearing is being conducted. Camp should be organised in the affected panchayats for the awareness of the public about various environmental impacts of the project on their life. People should be aware first and only then this public hearing should be conducted. Project do not have any permanent employment policy. SJVNL is hiding the facts. Mobile Health Van service is just an eye wash. It should be closed immediately. Although mining will be carried out in forest land but we still have forest rights in this area for grazing. I am totally against this proposed project at Khaira.	Representative from the Pollution Control Board apprised that drum beating ceremony to aware the people of affected panchayts was carried out on 10.05.2022 at Village Khaira, Lunsu, Chebri, Chouki, Loti, Jaishi, Bharara and Mungna. He further apprised that a copy of executive summary and EIA report of the project was sent to all the stake holders i.e. DC Shimla, SDM Shimla (Rural), Regional Office of MOEF and CC, Director EST, GM, DIC Shimla, Zila Parishad Basantpur, GP Bharara and Chebri. In addition to this, a public notice was published in two leading daily newspapers (Hindi & English) one month prior to this public hearing. It was apprised by the project proponent that this public hearing is specifically being organised for minor mineral extraction of stone (10.1529 hec.) at mauza Khaira. Further, mining site falls under the forest area and land will be reclaimed once the mining is complete. Employment will be provided as per rules and regulations of Govt. of India.
6.	Aman, Village Khaira, GP Chebri, Tehsil Sunni	I was employed at SJVN Corporate Office at Shimla. I was fired by SJVN on 31.07.2021 without citing any reasons. I will not support this project until or unless employment is provided to me.	It was apprised by the project proponent that matter regarding employment of Sh. Aman will be enquired with concerned.

7.	Madan Lal Sharma, Village Lunsu, GP Chebri, Tehsil Sunni	First of all people of village Khaira should be taken into confidence by the project proponent. Water sources should be protected. I am not against the project but crusher should not be setup at Khaira. Mining area should be shifted from current location to somewhere else. Bindla Panchayat should also be consulted as their fields will also be impacted by this project. Dumping sites at village Lunsu is at a distance of 20-25 meter from residential area. It should also be shifted far away from residential area.	It was apprised by the project proponent that people from affected area can contact the project regarding their issues. Site selection of mining area is done based upon various geological studies. Water sources will be protected. Dumping will be carried out as per the relevant guidelines/norms, and it will be ensured that there is no inconvenience to the public.
8.	Sunita Sharma, BDC Member, Village Khaira GP Chebri	I am against the proposed mining project at Khaira. Crusher should not be installed there as lot of dust pollution will be caused due to this. It should be installed far away from village. Promises were made by the project regarding employment to local public but our children are being fired by them for no reason. We want permanent employment through SJVNL not through contractor.	It was apprised by the project proponent that site selection of mining lease depends upon rock strata. Proper pollution control measures will be adopted by the project. Direct and indirect employment to approximately 4000 persons will be created by Sunni Dam HEP.
9.	Vijay Kumar Sharma, Village Khaira, GP Chebri	The proposed mining site is just below the Bawri and its water is used for religious purposes. Pollution will be there due to mining which will lead to various health issues. I am not against the project but damage to village should not be caused by the project.	It was apprised by the project proponent that all the water sources will be protected and mining will be carried out above the ground water level and as per approved mining plan. Further, adequate pollution control measures will be taken by the project to mitigate impact due to pollution.
10.	Kundan Lal Sharma, Village Loti, GP Chebri	I am also against the proposed mining site at Khaira village. Mining site should be shifted to some other location. Name of the project should be changed from Sunni Dam HEP to Khaira Dam HEP. Not only Bharara and Khaira village, but Bindla Panchayat will be affected by this project. Employment should not be through contractors but through SJVNL.	It was apprised by the project proponent that issue regarding change of name from Sunni Dam HEP to Khaira Dam HEP has already been taken up with the higher authorities and same is lying for approval at Govt. level. It was also assured that all the issues of affected area will be addressed. Further there will be direct and indirect employment to almost 4000 persons due to Sunni Dam HEP. Further, mining site has been selected on the basis of technical requirement and rocks strata. Panchayats covered for Public hearing are in line with the norms.
11.	Govind Ram Chauhan, Village Bharara, GP Bharara	We are not against the project but we strongly object to proposed mining site at Khaira. Local public should be taken into confidence before planning such projects.	It was apprised by the project proponent that the selection of mining area depends upon rock strata. Mining will be done scientifically as per approved mining plan in the benches of 6 X 6 mtr.

At the culmination of public hearing, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Shimla once again requested the people present to express their views with respect to mining proposal. He also informed everyone that the issues discussed in the Public Hearing shall be incorporated in the proceedings of Public Hearing and same shall be submitted to the competent authority for further necessary action at their end.

Thereafter, Chairman-cum-Addl. Deputy Commissioner, Shimla thanked everyone for attending the public hearing and sharing their valuable views/suggestions/comments. He assured the public that

their all issues regarding fodder for animals, protection of their water sources, mitigation of dust pollution and dumping sites of project will be duly addressed in consultation of all the stakeholders before carrying out any constructions activity by project.

Thereafter, The Regional Officer, HPSPCB Shimla urges the Chairman to accord permission to close the proceedings of Environmental Hearing. Finally at the end, The Regional Officer, HPSPCB Shimla thanked the Chairman, all the participants, Govt. Officers and officials for attending the Environmental Public Hearing. The Public Hearing ended with the permission of the Chairman.


(Shivam Pratap Singh, IAS)
Addl. Deputy Commissioner, Shimla

मैसज एसजेवीएन लिमिटेड, सुन्नी डैम एच0 ई0 पी0 कार्यालय शक्ति सदन, शनान, शिमला, 171006 द्वारा प्रस्तावित खैरा खदान स्टोन माइन, लीज़ एरिया, 10.1529 हेक्टेयर, 44,12,821 टीपीए की उत्पादन क्षमता के साथ पांच साल की अवधि के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 17.05.2022 को प्रात 11:00 बजे अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला की अध्यक्षता में किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्राम खैरा, ग्राम पंचायत चेबरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 मैसज एसजेवीएन लिमिटेड, सुन्नी डैम एच0 ई0 पी0 कार्यालय शक्ति सदन, शनान, शिमला, 171006 द्वारा प्रस्तावित खैरा खदान स्टोन माइन, लीज़ एरिया, 10.1529 हेक्टेयर, 44,12,821 टीपीए की उत्पादन क्षमता के साथ पांच साल की अवधि के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 17.05.2022 को प्रात 11:00 बजे अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला की अध्यक्षता में किया गया।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में क्षेत्रीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय जनता का स्वागत किया। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे बिना किसी भय और दबाव के उक्त प्रस्ताव के बारे में अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां व्यक्त करें। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरान्त जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इसके उपरान्त परियोजना प्रस्तावक के सलाहकारों ने प्रस्तावित खनन पट्टे के संदर्भ में प्रस्तावित खनन पट्टे के कार्यकारी सांराश का विवरण प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों की उपस्थिति पत्रक अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। जन सुनवाई की वीडियोग्राफी भी की गई, तदनुसार पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यवाही दर्ज की गई और उसी को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

इसके बाद जन सुनवाई में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उक्त मुद्दों पर परियोजना प्रस्तावकों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	नाम व पूरा पता	प्रश्न/प्रश्नकर्ता	उत्तर -एसजेवीएन प्रतिनिधि, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना
1.	श्री छर्विंदर पाल, ग्राम खैरा, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	हम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परियोजना स्थापित की जानी चाहिए। परियोजना प्रस्तावक को पहले से मौजूद परियोजनाओं में उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। खनन से वायु प्रदूषण होगा। बुजुर्गों और बच्चों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। खनन से निकलने वाली धूल से ग्रामीणों के घास के मैदान और वनस्पति को नुकसान होगा। उसी की परियोजना की शमन योजना क्या है परियोजना गतिविधियों के कारण भूजल स्तर नीचे चला जाएगा। इसके लिए प्रस्तावक द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। परियोजना को बांध से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करनी चाहिए ताकि सभी को अपने खेतों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। परियोजना ने लुंसु में डंपिंग साइट प्रस्तावित की है जो आवासीय क्षेत्र के निकट है। वाहनों के चलने और	परियोजना प्रमुख द्वारा अवगत कराया गया कि एसजेवीएन पर्यावरण और परियोजना प्रभावित लोगों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुन्नी बांध एचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना में कुल 318 करोड़ का प्रावधान है जिसमें आर एंड आर योजना के लिए 179 करोड़ (एलएडीएफ के लिए 38.33 करोड़, क्षति के लिए 10.00 करोड़ और विविध के लिए 5.5 करोड़) शामिल हैं। जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए 38.34 करोड़ का प्रावधान, प्रतिपूरक वनरोपण योजना में 48.10 करोड़ का प्रावधान एवं वन्य जीव एवं जैव विविधता प्रबंधन योजना के लिए 1.05 करोड़ का प्रावधान है। उन्होंने आगे बताया कि कोई ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी और खुदाई जेसीबी के माध्यम से की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार 6 गुणा 6 मीटर की बेंचों में कटिंग की जायेगी। जहां तक जल

कूड़ा फेंकने से काफी प्रदूषण होगा। वृक्षारोपण परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाना चाहिए, और दस वर्ष बाद इसके जीवित रहने की जाँच की जानी चाहिए। परियोजना के कारण बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। इस परियोजना को आयुष्मान भारत की तर्ज पर प्रत्येक ग्रामीण को कम से कम 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना चाहिए। पीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी है। परियोजना में एनजीओ के माध्यम से डॉक्टर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। लोगों को प्रदूषण और इसके बाद के प्रभावों से बचाने के लिए परियोजना की जिम्मेदारी है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पॉलिटैक्रिक की सुविधा उपलब्ध कराये। रोजगार ठेकेदारों के माध्यम से नहीं होना चाहिए। स्थानीय ठेकेदारों को 20.00 लाख से कम मूल्य के कार्यों में वरीयता मिलनी चाहिए। कुछ ग्रामीणों को हिम्पेस्को के माध्यम से लगाया गया है, उनके लिए नीति बनानी चाहिए। परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी तय की जाए। मैं एडीसी, शिमला से उन मुद्दों की समय-समय पर निगरानी करने का अनुरोध करता हूँ जिनका मैंने यहां उल्लेख किया है।

स्रोतों के क्षतिग्रस्त होने के मामले की बात है तो यह आश्वासन दिया जाता है कि भूजल स्तर से ऊपर खुदाई की जाएगी। जल, वायु एवं ध्वनि प्रबंधन योजना के लिए 40 लाख, जन स्वास्थ्य वितरण योजना के लिए 2.80 करोड़, श्रम प्रबंधन योजना के लिए 1.12 करोड़, स्वच्छता के लिए 2.97 करोड़ के प्रावधान हैं, कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के लिए 12.78 करोड़ का प्रावधान, पर्यावरण सुरक्षा के लिए 0.15 करोड़ का प्रावधान, ऊर्जा संरक्षण के उपायों के लिए 0.45 करोड़ का प्रावधान और पर्यावरण निगरानी योजना के लिए 1.05 करोड़ का प्रावधान। निगरानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसजेवीएनएल के पर्यावरण विभाग द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिट्टी का निस्तारण किया जाएगा।

साथ ही खनन के लिए प्रस्तावित ईएमपी में 7.5 लाख (प्रदूषण नियंत्रण 0.5 लाख, पर्यावरण निगरानी 1.00 लाख, हरित पट्टी विकास 3.5 लाख रुपये और व्यवसाय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2.50 लाख रुपये) का प्रावधान है। यह खदान 5 साल तक चालू रहेगी।

2. श्री नागेश्वर, ग्राम खैरा, ग्राम पंचायत, चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला

मैं खैरा में प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करता हूँ। परियोजना प्रस्तावक को स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि सुन्नी बांध एचईपी द्वारा लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, खनन 35 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

3. श्री मुकेश शर्मा, ग्राम लोटी, ग्राम पंचायत, चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला

मैं प्रधान ग्राम पंचायत चेबरी द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूँ। मैं खैरा में प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करता हूँ।

कोई टिप्पणी नहीं।

4. श्री सोहन लाल, ग्राम खैरा, ग्राम

मैं ग्राम पंचायत ओगली में आयोजित सुन्नी बांध की जनसुनवाई में शामिल हुआ। यह परियोजना

परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत कराया गया कि सुन्नी बांध एचईपी का

<p>पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला</p>	<p>खैरा गांव में स्थापित की जा रही है। परियोजना का नाम सुन्नी बांध एचईपी क्यों है मेरे गाँव में 30 घर हैं जिनमें से प्रत्येक में 5 जानवर हैं। इस गांव में खनन का प्रस्ताव रखा गया है और यह सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है। खनन के कारण घास के मैदानों को नुकसान होगा और पशुओं के लिए चारा स्टॉक की कमी होगी। खनन के कारण बहुत अधिक धूल का उत्सर्जन होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और स्थानीय जनता के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करेगा। जलस्रोत सूख जाएंगे। परियोजना प्रस्तावक को गांव को सिंचाई योजना उपलब्ध करानी चाहिए। स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए नीति बनाई जाए। भूमि हारने वालों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।</p>	<p>नाम बदलकर खैरा बांध एचईपी करने के संबंध में मामला पहले ही उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है और यह सरकार के पास अनुमोदन के लिए पड़ा हुआ है। इसके अलावा, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन किया जाएगा और खनन पूरा होने के बाद साइट को पुनर्जीवित किया जाएगा। खनन के दौरान आसपास के क्षेत्रों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए उचित प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाएंगे। सभी जल स्रोतों को संरक्षित किया जाएगा। स्थानीय जनता के परामर्श से प्रस्तावित आर एंड आर योजना में सिंचाई योजना और मुआवजे के मुद्दे को संबोधित किया जाएगा।</p>
<p>5. श्री सत्य प्रकाश ठाकुर, ग्राम मालगी, ग्राम पंचायत ओगली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला</p>	<p>इस जन सुनवाई में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह जनसुनवाई क्यों की जा रही है। परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रभावित पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। लोगों को पहले जागरूक होना चाहिए और उसके बाद ही यह जन सुनवाई होनी चाहिए। परियोजना की कोई स्थायी रोजगार नीति नहीं है। एसजेवीएनएल तथ्यों को छिपा रहा है। मोबाइल हेल्थ वैन सेवा महज एक आई वॉश है। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। हालांकि वन भूमि में खनन किया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी भी इस क्षेत्र में पशु चराई के लिए वन अधिकार हैं। मैं खैरा में इस प्रस्तावित परियोजना के पूरी तरह खिलाफ हूँ।</p>	<p>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि दिनांक 10.05.2022 को ग्राम खैरा, लुंमु, चेबडी, चौकी, लोटी, जैशी, भरारा और मुंगना में प्रभावित पंचायतों के लोगों को जागरूक करने के लिए ढोल वादन समारोह आयोजित किया गया था। इसके अलावा, परियोजना के कार्यकारी सारांश और ईआईए रिपोर्ट की प्रति सभी हितधारकों अर्थात् डीसी, शिमला, एसडीएम, शिमला ग्रामीण, एमओईएफ और सीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक ईएसटी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला परिषद बसंतपुर, ग्राम पंचायत भरारा और चेबरी को भेजी गई थी। इसके अलावा, इस जन सुनवाई से एक महीने पहले दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी) में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि यह जन सुनवाई विशेष रूप से मौजा खैरा में पत्थर के लघु खनिज निष्कर्षण (10.1529 हेक्टेयर) के लिए आयोजित की जा रही है। इसके अलावा, खनन स्थल वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और खनन पूरा होने के बाद भूमि को पुनर्जीवित किया जाएगा।</p>

			सरकार के नियम-कायदों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
	श्री अमन, ग्राम खैरा, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	मैं शिमला में एसजेवीएन कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत था। मुझे बिना कोई कारण बताए एसजेवीएन द्वारा 31.07.2021 को निकाल दिया गया। मैं इस परियोजना का समर्थन तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अमन के नियोजन संबंधी मामले की पूछताछ संबंधित उच्च अधिकारी से की जाएगी।
7.	मदन लाल शर्मा, ग्राम लुंसु, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	सर्वप्रथम परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम खैरा के लोगों को विश्वास में लिया जाए। जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मैं परियोजना के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन खैरा में क्रशर की स्थापना नहीं होनी चाहिए। खनन क्षेत्र को वर्तमान स्थान से कहीं और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बिंदला पंचायत से भी सलाह ली जाए क्योंकि इस परियोजना से उनके खेत भी प्रभावित होंगे। गांव लुंसु में डंपिंग साइट आवासीय क्षेत्र से 20.25 मीटर की दूरी पर है। इसे भी रिहायशी इलाके से काफी दूर शिफ्ट किया जाना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं के संबंध में परियोजना से संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न भूवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर खनन क्षेत्र का स्थल चयन किया जाता है। जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार डंपिंग की जाएगी। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता को कोई असुविधा न हो।
8.	श्रीमती सुनीता शर्मा, बीडीसी सदस्य, ग्राम खैरा पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	मैं खैरा में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ हूँ। वहां क्रशर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत अधिक वायु प्रदूषण होगा। इसे गांव से बहुत दूर स्थापित किया जाना चाहिए। परियोजना द्वारा स्थानीय जनता को रोजगार देने के वादे किए गए थे लेकिन हमारे बच्चों को उनके द्वारा बिना किसी कारण के निकाल दिया जा रहा है। हमें स्थाई रोजगार एसजेवीएनएल के माध्यम से चाहिए, ठेकेदार के माध्यम से नहीं।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत कराया गया कि खनन पट्टे का स्थल चयन चट्टान के प्रकार पर निर्भर करता है। परियोजना द्वारा उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाया जाएगा। सुन्नी बांध एचईपी द्वारा लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाएगा।
9.	श्री विजय कुमार शर्मा, ग्राम खैरा, ग्राम पंचायत चेबरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	प्रस्तावित खनन स्थल बावरी के ठीक नीचे है और इसके पानी का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। खनन के कारण प्रदूषण होगा जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। मैं परियोजना के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन परियोजना से गांव को नुकसान नहीं होना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि सभी जल स्रोतों का संरक्षण किया जायेगा तथा खनन कार्य भू-जल स्तर से ऊपर एवं स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। इसके अलावा, प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना द्वारा पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाएंगे।
10.	श्री कुंदन लाल शर्मा, ग्राम लोटी, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	मैं खैरा गांव में प्रस्तावित खनन स्थल के खिलाफ हूँ। खनन स्थल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। परियोजना का नाम सुन्नी बांध एचईपी से खैरा बांध एचईपी में बदला जाना चाहिए। इस परियोजना से न केवल भरारा और खैरा गांव बल्कि बिंदला पंचायत भी	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत कराया गया कि सुन्नी बांध एचईपी से खैरा बांध एचईपी में नाम परिवर्तन के संबंध में मामला पहले ही उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है और यह सरकार के अनुमोदन के लिए

		प्रभावित होगी। रोजगार ठेकेदारों के माध्यम से नहीं बल्कि एसजेवीएनएल के माध्यम से होना चाहिए।	पड़ा हुआ है। स्तर। यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रभावित क्षेत्र के सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा सुन्नी बांध एचईपी के कारण लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, खनन स्थल का चयन तकनीकी आवश्यकता और चट्टानों के स्तर के आधार पर किया गया है। जन सुनवाई के लिए शामिल पंचायतें मानदंडों के अनुरूप हैं।
11.	श्री गोविंद राम चौहान, ग्राम भराड़ा, ग्राम पंचायत भराड़ा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला	हम इस परियोजना के खिलाफ नहीं हैं लेकिन खैरा में प्रस्तावित खनन स्थल का हम कड़ा विरोध करते हैं। ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने से पहले स्थानीय जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र का चयन रॉक स्ट्रेट पर निर्भर करता है। 6 गुणा 6 मीटर की बेंचों में स्वीकृत खनन योजना के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से खनन किया जायेगा।

जनसुनवाई के समापन पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के क्षेत्रीय अधिकारी ने एक बार फिर उपस्थित लोगों से खनन प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी को यह भी सूचित किया कि लोक सुनवाई में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उन्हें लोक सुनवाई की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी को उनकी ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त शिमला ने जन सुनवाई में भाग लेने और अपने बहुमूल्य विचारों/सुझावों/टिप्पणियों को साझा करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि परियोजना द्वारा किसी भी निर्माण गतिविधि को करने से पहले सभी हितधारकों के परामर्श से जानवरों के लिए चारा, उनके जल स्रोतों की सुरक्षा, वायु प्रदूषण को कम करने और परियोजना के डंपिंग स्थलों के बारे में उनके सभी मुद्दों का विधिवत समाधान किया जाएगा।

तत्पश्चात, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के क्षेत्रीय अधिकारी ने अध्यक्ष से पर्यावरण सुनवाई की कार्यवाही को बंद करने की अनुमति देने का आग्रह किया। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला ने पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने के लिए अध्यक्ष महोदय, सभी प्रतिभागियों और सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद किया। सभापति की अनुमति से जनसुनवाई समाप्त हुई।

(शिवम प्रदीप सिंह, आईएस)
अतिरिक्त उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला, हि.प्र.